

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छतरगढ जिला बीकानेर
क्रमांक:-एसडीओ/रीडर/2021/237


दिनांक:- 08/02/2021

-:कार्यालय आदेश:-

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 8(2) के तहत चक 1 एमएडब्ल्युएम पटवार मण्डल लूणखां के निम्नलिखित मुरब्बों में निम्नानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तदानुसार तहसीलदार राजस्व, छतरगढ गैर मुमकिन रास्ते के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करें:-

मु.न. 162/41, 49, 57, मु.न. 182/1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, मु.न. 202/1 के समस्त मुरब्बा नम्बरो के किला नम्बर 21 ता 25 में में 0.02- 0.02 बीस्वा भूमि, मु.न. 161/55, 63, मु.न. 181/7, 15, 23, 31, 39, 47, 55, 63, मु.न. 201/7, 15, 23 के समस्त मुरब्बा नम्बरो के किला नम्बर 21 ता 25 में में 0.02- 0.02 बीस्वा भूमि, मु.न. 161/63, 64, 57 मु.न. 181/31, 32, 47, 48, 63, 64 182/41, 57 व मु.न. 201/15, 16, के कि.न. 01, 10, 11, 20, 21 में 0.02- 0.02 बीस्वा भूमि।

आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर न्यायालय से जारी किया गया।



(जीतू सिंह मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
छतरगढ जिला बीकानेर
दिनांक:- 08/02/2021

क्रमांक:-एसडीओ/रीडर/2021/238

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आम सूचना प्रकाशन हेतु प्रेषित है:-

01. तहसीलदार राजस्व, छतरगढ को पालनार्थ प्रेषित है।

(जीतू सिंह मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
छतरगढ जिला बीकानेर

